दिनांक:**04-09-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2023 को वादी राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री मातादीन यादव निवासी लिंक रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर अज्ञात चोर द्वारा स्कूटी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे लिखित तहरीर दी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/23 धारा 379 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्त **फैज पुत्र शाहिद निवासी नूर मस्जिद के सामने गली नं0 14 थाना मण्डी सहारनपुर** को आज दिनांक 04.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर जोगियान पुल से श्रीराम चौक की तरफ से चोरी की 01 स्कूटी नं0 UP11BD9364, चैसिस नं0 ME4JF507EH7149954, इन्जन नं0 JF50E75149963 सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 379/411 भादवि मे की जायेगी। अभियुक्त फैज के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त फैज ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं पांचवी कक्षा तक पढा लिखा हूँ मजदूरी का काम करता हूँ तथा नशे का आदी हूँ अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करता हूँ। यह स्कूटी मैने दिनांक 01.09.2023 को लिंक रोड से चोरी की थी और आज मै इसे बेचने की फिराक मे जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फैज पुत्र शाहिद निवासी नूर मस्जिद के सामने गली नं0 14 थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- स्कूटी नं0 UP11BD9364 ,चैसिस नं0 ME4JF507EH7149954 , इन्जन नं0 JF50E75149963

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना को0नगर सहारनपुर
2. है0का0 438 दिनेश भाटी थाना को0नगर सहारनपुर
3. का0 1065 अनुजपाल थाना को0नगर सहारनपुर
4. का0 2484 सुभाष थाना को0नगर सहारनपुर

दिनांकः 04-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा युवती के अपहरण की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुये अपहर्ता को किया गया सकुशल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/23 धारा 366 भादवि में त्वरित कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 04.09.2023 को मुकदमा उपरोक्त की अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया । अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी व 164 सीआरपीसी में अपहर्ता के कथन अंकित कराते हुये नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 847 धर्मेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. म0है0का0 898 रुबी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 04-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दो गुमशुदा लडको को किया सकुशल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 01.09.2023 को सुबह 10.00 बजे 1. आर्यन पुत्र श्री आनन्द व 2. अर्पित पुत्र श्री विश्वास निवासीगण ग्राम नंगला खारी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर अपने घर से बिना किसी को बताये कही चले गये थे परिजनो द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी परन्तु नही मिल पा रहे थे। परिजनो द्वारा दिनांक 03.09.2023 को थाना कुतुबशेर को इस सम्बन्ध मे सूचना दी गयी थी। थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आर्यन व अर्पित उपरोक्त की गुमशुदगी दर्ज करते हुए उपरोक्त गुमशुदा लडको की तलाश हेतु टीम गठित की गयी। त्वरित कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 04.09.2023 को तीन दिन से गुमशुदा आर्यन व अर्पित को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम के अथक प्रयास से सकुशल बरामद कर उनके परिजनो के सुपुर्द किया गया। पुलिस के इस कृत्य की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की जा रही है।

नाम पता गुमशुदा

1. आर्यन पुत्र श्री आनन्द निवासी नंगला खारी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. अर्पित पुत्र श्री विश्वास निवासी नंगला खारी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामद करने वाली पुलिस टीम ......

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अजब सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1114 यतेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 847 धर्मेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 04-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के अपहरण की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुये अपहर्ता को बरामद कर, अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.2023 को वादी द्वारा लिखिति तहरीर बाबत गुलजार पुत्र लालू निवासी हबीबगढ रोड हाजी मक्खी का रिठान फतेह कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/2023 धारा 363 भादवि के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अपहर्ता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 04.09.2023 को अपहर्ता (नाबालिग लडकी) को बरामद किया गया तथा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गुलजार पुत्र लालू निवासी हबीबगढ रोड हाजी मक्खी का रिठान फतेह कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को कल्पना तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त गुलजार उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त गुलजार उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मै हाजी मक्खी के रिठान की अपहर्ता लडकी को काफी दिनो से जानता था तथा मै इस लडकी को शादी करने का झासा देकर अपने साथ ले गया था । मेरे पास पैसे खत्म हो गये । मैनें कल दिनांक 03.09.2023 को लडकी को सहारनपुर वापस लाकर छोड़ दिया तथा मै वहां से भाग गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुलजार पुत्र लालू निवासी हबीबगढ रोड हाजी मक्खी का रिठान फतेह कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री खूब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 229 अमरदीप थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. म0का0 997 दीपा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 04-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 गौकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 रास बछिया, गौकशी के उपकरण 01 मोटर साईकिल, 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी की घटनाओ की रोकथाम हेतु गौकशी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथी प्रभारी निरीक्षक देवबंद श्री ह्रदय नारायण सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **अहसान उर्फ पोपन पुत्र अनीस निवासी ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सांपला खत्री को काली नदी के ज्वार के खेत से गिरफ्तार किया गया तथा सहअभियुक्त 1. सरफराज पुत्र अनीस 2. शाहिद पुत्र शरीफ 3. आशु पुत्र रहीश 4. इलियास पुत्र शरीफ 5. सलीम पुत्र नफीस समस्त निवासीगण ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 6. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात मौके से फरार हो गये। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त अहसान उर्फ पोपन उपरोक्त से एक रास बछिया, एक कुल्हाडी, एक दाव, एक छुरा, 03 अदद रस्सी, एक लकडी का गुटका, एक प्लास्टिक का कट्टा व एक अदद मोटर साईकिल सीडी डिलक्स व एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। उक्त अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 465/23 धारा 307 भा.द.वि व 3/5/8 गौवध अधि0 तथा 11 पशु क्रुरता अधि0 व 3/25/27 आयुध अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अहसान उर्फ पोपन पुत्र अनीस निवासी ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त अहसान उर्फ पोपन का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 54/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट,चालानी थाना देवबन्द स0पुर ,
2. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 55/22 धारा 414 भादवि,चालानी थाना देवबन्द स0पुर,
3. मु0अ0सं0 219/16 धारा 379 भादवि चालानी थाना देवबन्द स0पुर,
4. मु0अ0सं0 325/2019 धारा 33/5/8 गौवध अधिनियम चालानी थाना देवबन्द स0पुर,
5. मु0अ0सं0 397/2018 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरूता अधि0,चालानी थाना देवबन्द स0पुर,

6. मु0अ0सं0 425/2016 धारा 3/5/8 गौवध अधि0चालानी थाना देवबन्द स0पुर,
7. मु0अ0सं0 925/2018 धारा 3/5/8 गोवध अधि0,चालानी थाना देवबन्द स0पुर,
8. मु0अ0सं0 1638/2018 धारा 174A IPC पंजीकृत थाना देवबन्द, स0पुर,

<u>फरार अभियुक्तगणो का नाम पताः-</u>

1. सरफराज पुत्र अनीस ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. शाहिद पुत्र शरीफ ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. आशु पुत्र रहीश ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4. इलियास पुत्र शरीफ ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
5. सलीम पुत्र नफीस समस्त निवासी ग्राम सापला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
6. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात

<u>बरामदगी का विवरण</u>

(1) एक रास बछिया

(2) गौकशी के उपकरण (एक कुल्हाडी, एक दाव, एक छुरा, 03 अदद रस्सी, एक लकडी का गुटका, एक प्लास्टिक का कट्टा)

(3) एक अदद मोटर साईकिल सीडी डिलक्स

(4) एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 धीरज तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 बलवीर सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3- उ0नि0 आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4- है0कां0 449 लोकेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5- है0कां0 928 हरिओम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6- कां0 2183 संजू कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर